पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 307/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.10.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 02.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-रौनापार आजमगढ़: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 26.09.2024 अभियुक्त राजकरन कुमार पुत्र विनोद द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष जो अपने छत पर सो रही थी, छत पर आकर छेड़खानी किया गया तथा शोर करने पर प्रतिवादी द्वारा गाली गुप्ता देते हुए मार पीट किया गया,के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 350/24 धारा 74,115(2),352,333 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम राजकरन कुमार पुत्र विनोद राम साकिन सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.10.24 को उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा अभियुक्त राजकरन कुमार पुत्र विनोद राम साकिन सहबदिया सुल्तानपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को भदौरा ढाला से समय करीब 11.45 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना-रौनापार जनपद आजमगढ़: अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण –

अवगत कराना है कि आज दिनांक 02.10.2024 को उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा ग्राम पारा के नहर पटरी से समय करीब 10.42 बजे एक अभियुक्त बृजभान यादव पुत्र खरचू उर्फ राजकुमार यादव सा0 सलेमपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को एक देशी तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 379/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

03.थाना सरायमीर-जनपद आजमगढ़: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 14.09.2024 वादी मुकदमा थाना सरायमीर जिला आजमगढ़ के द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अभियुत विवेक पुत्र जयप्रकाश उर्फ गुड्डू सेठ निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की नाबालिग पुत्री के साथ स्कूल आते जाते रास्ते में छेड़खानी की गयी तथा भद्दी व अश्लील टिप्पणी की गयी है, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 487/24 धारा 74/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम विवेक पुत्र जयप्रकाश उर्फ गुड्डू सेठ निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 02.10.2024 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक पुत्र जयप्रकाश उर्फ गुड्डू सेठ निवासी छित्तेपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को छित्तेपुर बाजार के पास से समय करीब 12.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 144/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
2. 164/2024 धारा 504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 487/24 धारा 74/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

04.थाना- पवई जनपद आजमगढ़: किशोरी को अगवा कर भगा ले जाने वाले बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 01.10.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पवई पर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की लड़की उम्र करीब 17 वर्ष को एक बाल अपचारी द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थनीय मु0अ0सं0 327/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.10.2024 को उ0नि0 अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को मिल्कीपुर अण्डर पास के पास से समय करीब 08.50 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी का चालान मा0 न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड किया जा रहा है।